	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 22, सोमवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 14, 2019 *Asvina 22, Monday, Saka 1941–October 14, 2019*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

आदेश

जयपुर, अक्टूबर 09, 2019

संख्या प.2(क)( ) जॉच/डीएलबी/19/2722 :–श्रीमती कंचन सोलंकी, अध्यक्ष नगर पालिका शिवगंज के विरूद्ध व्यक्ति विशेष को लाभ पहुचा कर अनियमितता, किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्रारम्भिक जांच करवाई गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया अनियमितता होना पाया गया है। श्रीमती कंचन सोलंकी, अध्यक्ष नगर पालिका शिवगंज के विरूद्ध लगाये गये आरोप काफी गंभीर प्रकृति के पाये जाने के कारण जो दुराचरण की श्रेणी में आने से, राज्य सरकार द्वारा उनके विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (3)(4) के अन्तर्गत न्यायिक जांच करवाये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया था । उक्त कम में श्रीमती कंचन सोलंकी, अध्यक्ष नगर पालिका शिवगंज के पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित किये जाने की संभावना के मध्यनजर विभागीय आदेश कमांक 2310 दिनांक 18.09.2019 द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती कंचन सोलंकी, अध्यक्ष नगर पालिका शिवगंज को अध्यक्ष एवं सदस्य से निलंबित किया गया था।

उक्त निर्णय के विरूद्ध श्रीमती कंचन सोलंकी, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय,जोधपुर मे रिट याचिका कमांक 14040/2019 (कचंन सोलकी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2019 की अनुपालना में न्यायिक जांच से सम्बन्धित आदेश कमांक 2300 दिनांक 17.09.2019 एवं निलम्बन आदेश कमांक 2310 दिनांक 18.09. 2019 प्रत्याहारित किया जाता है।

उज्जवल राठौड़,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

2867

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।